कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांकः- २०॥ / FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनॉकः देहरादून 😗 जनवरी, 2021 सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वनमूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (प्रस्ताव सं0- FP/UK/ROAD/29571/2017)

सन्दर्भः—भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 10.09.2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 10.09.2020 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen that the details of non forest land not filled online. State Government may fill the details of non-forest land online at designated places.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कराया गया है कि प्रकरण में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
2	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinate are shown at very few points. State Govt. may provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Geo reference digital map के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार पुनः तैयार कर ऑनलाईन पार्ट—I,C(iv) में अपलोड कर दिया गया है।
3	Cost benefit analysis not found uploaded. State Govt may upload the Cost benefit analysis as per prescribed format quantifying all parameters in monetary terms.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लागत लाभ विशलेषण को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर ऑनलाईन पार्ट— G में अपलोड कर दिया गया है।
4	As per DSS analysis. 3.14 ha area of proposed CA land is found overlapped with proposal no. FP/UK/ROAD /16367/2015. State Government may submit clarification and do the needful in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.14 है0 सिविल सोयम वन भूमि हेतु अन्यत्र स्थान चयन कर चिन्हित भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तैयार कर ऑनलाईन पार्ट— I, L में अपलोड कर दिया गया है।
5	CA scheme of single page of Rs. 51,70,253/- is found uploaded. State Government may upload the detailed CA scheme as per current rate.	सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त विस्तृत क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर धनराशि जमा कर दी जायेगी।

6	Details of 372 trees submitted in the tree enumeration list excluding trees falling in 0-30cm. However, details of 562 trees mentioned at para 4 in part II in which 319 are in girth-class of 0-30 cm and 243 tress in above 30 cm. State Government may clarify the disparity and submit/upload correct detail.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के व्यास श्रेणीवार गणना की गई, गणना के अनुसार प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 562 दर्शाकर part-II ऑनलाईन अपलोड किया गया है। इस प्रपन्न को Additional information में भी पुनः अपलोड कर दिया गया है।
7	Eco Class mentioned at para 4 online part II as Eco class I but in NPV sheet it is mentioned as Eco class III. State Government may clarify the disparity and submit/upload correct detail.	संशोधित NPV Calculation Sheet part II में upload कर दी गयी है।
8	Aerial Distance certificate not found uploaded. State Government may upload the aerial distance certificate.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग से समीपस्थ वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र ऑनलाईन पार्ट—I, Additional information में अपलोड कर दिया गया है।
9	DFO mentioned at para 8 in para II that area is part of Shivalik elephant reserve. State Government may submit the comments of CWLW.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून का अनापित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन पार्ट– I, Additional information में अपलोड कर दिया गया है।
10	Nodal officer in his recommendation mentioned that area is not part of national park/sanctuary/reserve. The comments of Nodal regarding point no. 09 above are required to be submitted.	प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में अंकित की गयी टिप्पणी सही है। परियोजना क्षेत्र किसी संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है व शिवालिक एलीफेन्ट रिर्जव का संरक्षित क्षेत्र के कोई कानूनी सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से सम्बन्धित प्रमाण पत्र पार्ट—1 के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।
11	State Government may submit the report of DFO examining the adverse impact studied by WII, if any.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में WII द्वारा अध्ययन की कोई जाँच रिपोर्ट इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।
12	DFO mentioned at para 6 that area is prone to crosion as located near Gaula river State Government may submit the protective measure in this view.	को देखते हुए सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भू—कटाव वाले क्षेत्रों में उचित सुरक्षात्मक कार्य किया जाना उचित होगा।
13	DFO has made no comment in his SIR at para 5.3 and 5.5 (b) State Government may sub, it the Site Inspection Report after ensuring that the comments against each para 5.3 and 5.5 (b) have been made.	बिन्दु के अनुपालन में SIR के para 5.3 एवं 5.5 में सूचना भरकर SIR रिपोर्ट को पुनः ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

ा अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

